

वेस्ता

बनाम

श्रीधराम

नं. 2/44/18

सन्

हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

25/4/18

आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थीगण पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तिथि 08.06.2018 तक जर्ये एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी ख0 नं0 597 रकबा 0.29, 598 रकबा 0.29, 599 रकबा 0.05, 665 रकबा 0.12, 666 रकबा 0.11 हैक्ट0 का 1/2 भाग वाके ग्राम मेवखेडा तहसील रामगढ़ जिला अलवर में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे, राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो अप्रार्थीगण को जर्ये रजि0 ए0डी0 तलबी से तलब कर दिनांक 08.06.2018 को पेश हो।

(Signature)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

8.6.18

यथावधि न्याय वापके उर शिफार
शा 40 खेड में पेश हुआ उधर
पक्षीयगण को वापके दिखवा गइ।
कोई सुपरिधान नही। मूलवाद को
पुरिवाही को पक्षेवकर निर्णय कर
दिया गया है। प्रार्थना पत्र
रजि 212 सुपरिधान दिशा जारी है।
यथावधि निर्णय सुपार
शिफार उपर हो।

हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

25/4/18

आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थीगण पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तिथि 08.06.2018 तक जर्ये एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी ख0 नं0 597 रकबा 0.29, 598 रकबा 0.29, 599 रकबा 0.05, 665 रकबा 0.12, 666 रकबा 0.11 हैक्ट0 का 1/2 भाग वाके ग्राम मेवखेडा तहसील रामगढ जिला अलवर में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे, राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो अप्रार्थीगण को जर्ये रजि0 ए0डी0 तलबी से तलब कर दिनांक 08.06.2018 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

8.6.18 :-

कार्यवाही न्याय न्यायके उर शिवाकर
जात एव खेडी में पेश हुइ उधर
पक्षकाराने को न्याय दिखत गइ।
कोई नुसखिना नही। मुक्याड को
पुरिवादी को पक्षेवकर निहाय कर
दिया गया है। मु प्रार्थी को पेश
रिजि 212 खरिज दिश जाल है।
कार्यवाही निजि सुकर होकर
दृशिक दपर है।

20.0
(Rupa)

